देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ... ™

JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्यौगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2024/rpba/07 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | रविवार, 18 फरवरी 2024

आदर्श नगर ज़ोन के उपायुक्त नूर मोहम्मद का ताबड़तोड़ एक्शन!!!

भूखंड संख्या ए-121 आदर्श नगर और भूखंड संख्या 698 फ्रंटियर कॉलोनी समेत दो अन्य अवैध निर्माणों को किया सीज!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

आदर्श नगर ज़ोन के उपायुक्त नूर मोहम्मद का ताबड़तोड़ एक्शन!!

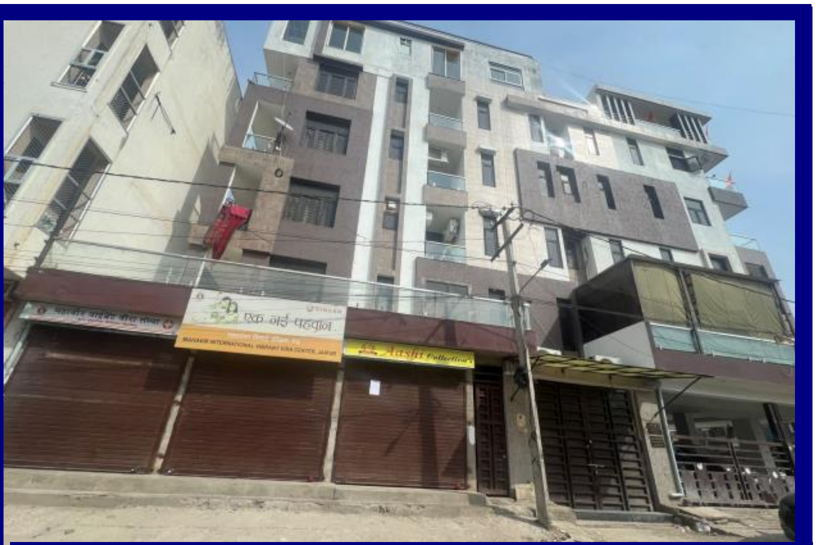

राजापार्क क्षेत्र मे अवैध बिल्डिंगे बनाने वाले बिल्डरों और भूमाफियाओ के चेहरों पर,आदर्श नगर ज़ोन के उपायुक्त नूर मोहम्मद के बुलडोजर का खौफ साफ नजर आ रहा है|एक के बाद एक अवैध बिल्डिंगे सील कर,नूर मोहम्मद द्वारा साफ संकेत दे दिए गए है कि उनके आदर्श नगर जोन मे रहते अवैध बिल्डिंगों को कतई बक्शा नहीं जाएगा|

विगत कई दिनों से बिल्डर लॉबी मे,यह बात चर्चा का विषय थी कि नूर मोहम्मद द्वारा अवैध बिल्डिंगों को स्थानीय विधायक की सिफारिश पर शह दी जा रही है|लेकिन ताबड़तोड़ अवैध बिल्डिंगे सील कर,नूर मोहम्मद द्वारा यह संकेत दे दिया गया है कि,यह सब बाते,मात्र अफवाह ही है|

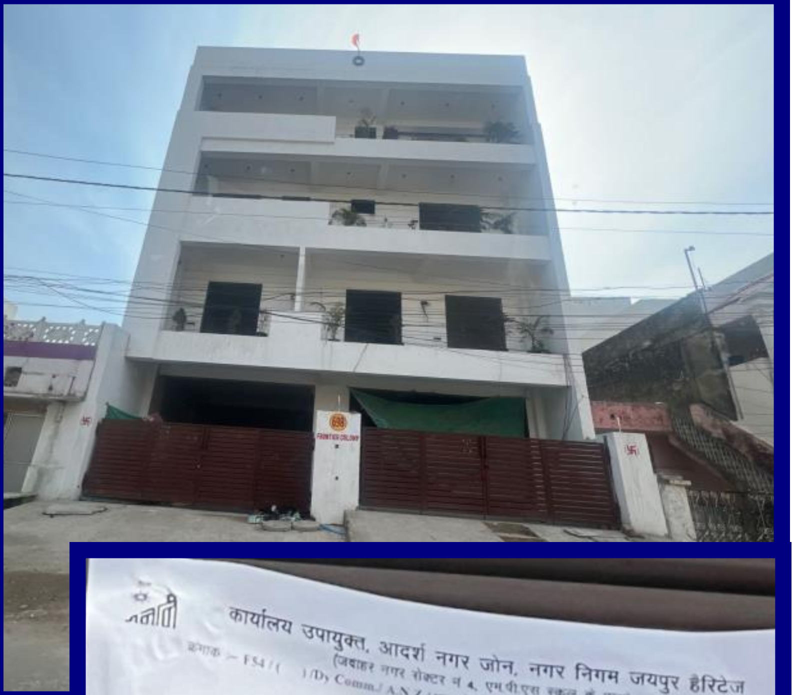

भूखंड संख्या ए-21 आदर्श नगर और भूखंड संख्या 698 फ्रंटियर कॉलोनी समेत दो अन्य अवैध निर्माणों को सील कर,अवैध निर्माणकर्ताओ को दी चेतावनी!!

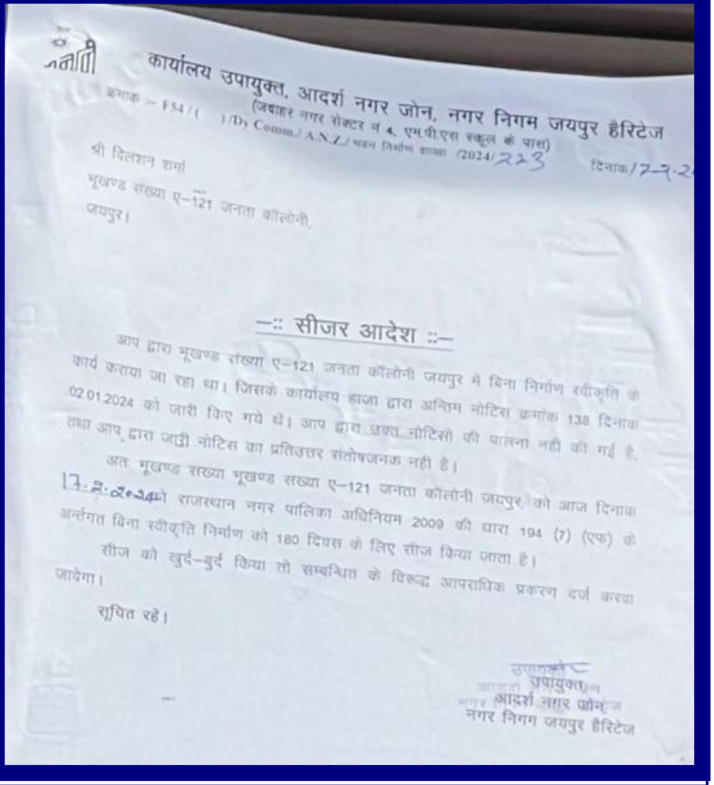

कार्यालय उपायुक्त, आदर्श नगर जोन, नगर निगम जयपुर हैरिटेज
(जवाहर नगर सेक्टर नं 4, एम.पी.एस स्कूल के पास)
क्रमांक – F54 / ( ) /Dy Comm./ A.N.Z./ भवन निर्माण शाखा /2024/223 दिनांक/7-2-2

श्री दिलशन शर्मा
भूखण्ड संख्या ए–121 जनता कॉलोनी,
जयपुर।

–:: सीजर आदेश ::–

आप द्वारा भूखण्ड संख्या ए–121 जनता कॉलोनी जयपुर मे बिना निर्माण स्वीकृति के कार्य कराया जा रहा था। जिसके कार्यालय हाजा द्वारा अन्तिम नोटिस क्रमांक 138 दिनांक 02.01.2024 को जारी किए गये थे। आप द्वारा उक्त नोटिसो की पालना नही की गई है, तथा आप द्वारा जारी नोटिस का प्रतिउत्तर संतोषजनक नही है।

अतः भूखण्ड संख्या भूखण्ड संख्या ए–121 जनता कॉलोनी जयपुर को आज दिनांक 17.2.2024 को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 (7) (एफ) के अर्न्तगत बिना स्वीकृति निर्माण को 180 दिवस के लिए सीज किया जाता है।

सीज को खुर्द–बुर्द किया तो सम्बन्धित के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जायेगा।

सूचित रहे।

उपायुक्त
आदर्श नगर जोन
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

विगत कई दिनों से भूखंड संख्या ए-121 आदर्श नगर और भूखंड संख्या 698 फ्रंटियर कॉलोनी समेत दो अन्य अवैध निर्माणों की शिकायत उनके पास पहुँच रही थी,जिसके चलते उनके द्वारा इस मामले की जांच करवाई गई,जांच मे मामला सही पाए जाने पर बिना किसी के दबाव मे आए,उनके द्वारा इस बिल्डिंग को सील करने के आदेश जारी कर दिए|

सूत्रों के अनुसार जल्दी ही उनके द्वारा अभियान चला कर,क्षेत्र मे बन रही कई रसुखदारों की अवैध बिल्डिंगों पर सीलिंग की कार्यवाही की जाएगी|